

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0 न0 40/18

तारीखरजु:-04.07.2018

उनवान:- गिराज सिंह उर्फ रामकिशोर बनाम आलम सिंह वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम
4.07.2018	<p>प्रार्थी की ओर से श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट एवं वैष्णी माधव पारीक एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र वावत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा आर.टी.एक्ट 212 के तहत प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी, शपथ पत्र, का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वकील की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के संबध मे बहस की सुनी गई। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगणो के पक्ष मे प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगणो को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम भण्डारी अन्दरूणी तहसील, टोडाभीम स्थिते ख0न0 102 रकवा 0.97 है0 मे खेती खेती की यथास्थिति, आगामी तिथि तक बनाए रखे। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी कर तलब करे। पत्रावली दिनांक:- 23.07.2018 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)</p>
3.8.18	<p>प्रार्थी वकील उप0/ अप्रार्थी की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा Adv ने नकालतनामा पेश किया पीठासीन अधिकारी का पद रिस्त है दिनांक 31.8.18 को पेश हो।</p>
31.8.18	<p>वकूलाय उप0/ जबाब पेश करने दि0 28/9/18 को पेश करें।</p>
26.10.18	<p>जनरल पेशीस पेश दुर्ग/वकूलाय उप0/ जबाब पेश करने दि0 11-1-19 को पेश हो।</p>
11-1-19	<p>वकूलाय उप0/ जबाब पेश करने दिनांक 8.2.19 को पेश हो।</p>


2512-13
प/31/8

जालग
केन्द्र

यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

2.11.18 वकूलाय उप.) अर्थात् वकील ने बौल्ट अदायगी फट जब्ब पेश किया / शामिल किया / जब्ब की जो वकील अर्थात् ने आला की / बहस बोस्त दिनांक 5.12.18 को पेश हो।

cost paid



5.12.18 वकूलाय उप.) बोस्त बहस समय-पाह / समय दिया / बोस्त बहस दिनांक 8.1.20 को पेश हो।

8.1.20

वकूलाय अस्थित/पीठसन अधिकारी चुनाय ~~इसे~~ मे पधार है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 10.3.20 को पेश हो।

10.2.20

वकील अभयपक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। बहस पर मन किया। वकील अभयपक्ष ने रिकार्ड एवं मोके की प्रथास्थिति बनाये रखे के लिए सहजते प्रकट की। अतः अर्चना पत्र स्वीकार किया जाता है। गैरसायलान के टाका के फैसला होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि गुप्त अणारी अन्दरूनी की भूमि खसरा नम्बर 102 खसरा 0.97 हे० पर रिकार्ड एवं मोके की प्रथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ सलम रहे।


 उपजिला कलक्टर
 टोडाभीम (करौली)

